"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74-ब] रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 फरवरी 2016 — फाल्गुन 10, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-03/2015/वाक/पांच (12). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जो 1 मार्च, 2016 से प्रभावी होगा, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 55 में, सारणी के सरल क्रमांक 4 के कॉलम (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(एक) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी - एक करोड़ रुपये की कुल राशि और/या सकल क्रय राशि तक

(दो) वाणिज्यिक कर अधिकारी - दस करोड़ रुपये की कुल राशि और/या सकल क्रय राशि तक

(तीन) सहायक आयुक्त - प्रत्येक व्यापारी के संबंध में."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2016

क्रमांक एफ-10-03/2016/वाक/पांच (12). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-03/2016/वाक/पांच (12), दिनांक 27-02-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 27th February 2016

NOTIFICATION

No. F-10-03/2016/CT/V (12).— In exercise of the powers conferred by Section 71 of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 with effect from 1st March, 2016, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

For entries in column (4) of serial number 4 of Table in rule 55, the following shall be substituted, namely :-

"(i) Assistant Commercial Tax Officer - upto a turnover and/or aggregate of purchase price of Rs. One crore

(ii) Commercial Tax Officer - upto a turnover and/or aggregate of purchase price of Rs. Ten crore

(iii) Assistant Commissioner - in respect of every dealer."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.